पत्रांक – मं०मं०–01/मंत्रिपरिषद्–03/2014....351....

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

अशोक कुमार सिन्हा,
मुख्य सचिव, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक.........12..........,मार्च 2014

विषय -- आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के फलस्वरूप मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ भेजे जाने वाले संलेख प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–05.03.2014 को लोक सभा आम चुनाव, 2014 की घोषणा हो चुकी है एवं चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया है।

अतः यह आवश्यक है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन न होने के संबंध में विभाग के प्रधान सचिव/सचिव पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद ही मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजें। यदि किसी प्रस्ताव के लागू होने से आदर्श आचार संहिता के किसी प्रावधान के उल्लंघन होने की आशंका हो, तो प्रस्ताव में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से पूर्व सहमति प्राप्त कर ही उसे मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु भेजा जाये।

विश्वासभाजन

12/3/14

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार

11/3/14